



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 03.06.2024

थाना कौशांबी पुलिस व साइबर टीम द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर विभिन्न राज्यों व जिलों में धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से अकाउन्ट खुलवाकर अपने खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर ठगी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 पैन कार्ड, 03 डेबिट कार्ड, 04 चैक बुक, 03 किराया नामा, शपथ पत्र अन्य दस्तावेज बरामद ।

कार्यवाही का विवरण: दिनांक 03.06.2024 को थाना कौशांबी पुलिस टीम व साइबर टीम द्वारा मुखबिर खास की सूचना के आधार पर फर्जी कम्पनी बनाकर विभिन्न राज्यों व जिलों में धोखाधड़ी कर फर्जी तरीके से अकाउन्ट खुलवाकर अपने खातों में रुपये ट्रांसफर कराकर ठगी करने वाला 01 वांछित अभियुक्त राजकुमार पुत्र जीत सिंह निवासी म0न0 540/1 बालाजी नगर ग्राम उखलारसी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष को 2/5 की पुलिसिया बैशाली से गिरफ्तार किया गया गया । जिसके कब्जे से 01 पैन कार्ड, 03 डेबिट कार्ड, 04 चैक बुक, 03 किराया नामा, शपथ पत्र अन्य दस्तावेज बरामद हुआ । अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है । पूर्व में दिनांक 04.05.2024 को ही 05 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है ।

पूछताछ का विवरण:

गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ की गयी तो यह तथ्य प्रकाश में आये कि गैंग के सभी सदस्य मिलकर फर्जी/गलत पते पर कम्पनी खोलकर व जरूरत मंद लोगों को तलाश कर उनके नाम पर फर्जी कम्पनी बनाकर एंवम फर्जी पते पर बैंक खाता खुलवाकर उसके बैंकिंग सम्बन्धी दस्तावेज अपने पास रख लेते थे और उनको कमीशन के रूप में पैसे देता दे देते थे । उनके बैंक खातों के लेने देन का कन्ट्रोल इनके पास ही होता था बैंको में खाता खुलवाने एवं बड़ी धनराशि निकलवाने में मनोज कुमार सिंह को जानकारी थी । यह सभी लोग मिलकर फर्जी कम्पनी के नाम के खाते खोलकर देश के अन्य राज्यों व जिलों के लोगो के साथ जालसाजी करके रुपये अपनी कम्पनी के खातों में ले लेते हैं व एटीएम कार्ड व अन्य साधनों से पैसा खातों से निकाल लेते हैं व कम्पनी बनाने तथा बैंक खाता खुलवाने में जो भी दस्तावेज लगाते थे उनका पता फर्जी होता था । जिससे इन्हें कोई पकड़ नहीं पाता था । जो रुपये प्राप्त होते थे उसका बटबारा मनोज कुमार सिंह जो कि हमारे गैंग का लीडर है के द्वारा किया जाता है । इन लोगो को जो भी फर्जी कम्पनी बनाने के लिये नाम पते की आवश्यकता होती थी वह नितिश शर्मा ही उपलब्ध कराता था । मनोज कुमार सिंह व नमन जैन तथा गैंग के अन्य साथियों के साथ मिलकर लोगो को धोखा देकर ठगी करने का काम करते हैं । पता बदल बदल कर बैंक बालो की मदद से बैंक में कम्पनियों के नाम से खाता खुलवाते हैं । पूर्व में ही दिनांक 04.05.2024 को आकाश त्यागी, मनोज कुमार, अमरेश कुमार सिंह, नमन जैन व नितिश शर्मा को न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:

राजकुमार पुत्र श्री जीत सिंह निवासी म0न0 540/1 बालाजी नगर ग्राम उखलारसी मुरादनगर गाजियाबाद उम्र 48 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण:-

- कब्जे से 01 पैन कार्ड, 03 डेबिट कार्ड, 04 चैक बुक, 03. किराया नामा, शपथ पत्र अन्य दस्तावेज बरामद

गिरफ्तार करने वाली टीम:

थाना कौशांबी पुलिस टीम व साइबर टीम ।

थाना वेव सिटी पुलिस द्वारा हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार तथा घटना में प्रयुक्त 02 अवैध तमंचे , 02 खोखा कारतूस व 02 जिन्दा कारतूस बरामद ।

आज दिनांक 03.06.2024 को थाना वेव सिटी पर वादिया ने तहरीर दी कि अभियुक्तों द्वारा रूपयों के लेन-देन को लेकर मेरे पुत्र अमल यादव की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जिसमें तत्काल थाना वेव सिटी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया तथा शीघ्र अनावरण व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित की गई। तत्पश्चात आज दिनांक 03.06.2024 को थाना वेव सिटी पुलिस टीम द्वारा मैनुअल ईनपुट के आधार पर हत्या की घटना कारित करने वाले 02 अभियुक्तों 1. जिले सिंह यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष 2. अतुल यादव पुत्र जिले सिंह यादव निवासी शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष को रिलायंस पेट्रोल पंप के सामने मेन रोड लालकुआँ से घटना में प्रयुक्त 02 तमंचे व कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण:- अभियुक्त जिले सिंह यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष ने बताया कि मेरा साहिबाबाद मंडी में आढ़त का काम है और मेरे यहाँ मृतक अमल यादव बतौर मुंशी का काम करता था। अमल यादव ने साल 2010 से 2023 तक मेरे यहाँ मुंशी का काम किया था और उसके ऊपर मेरे कुछ रुपये निकल रहे थे। मैंने जब भी अमल यादव से रुपये मांगे तो वह टालमटोल कर देता था उसके बाद उसने मेरे यहाँ से नौकरी छोड़ दी और कहीं और काम करने लगा। मैंने जब भी अमल यादव से पैसे मांगे तो उसने कहा कि मुझ पर कोई पैसा नहीं है और मैं कोई पैसा नहीं दूंगा जो करना हो कर लेना। इसी बात पर कल दिनांक 02/06/2024 को शाम को समय करीब 07:30 बजे मुझे जानकारी हुई की अमल यादव अपने प्लाट पर काम करवा रहा है और वहीं मौजूद है तो मैंने उसे जान से मारने का प्लान बनाया और अपने साथ अपने लड़के अतुल यादव व अन्य को लेकर किसान आदर्श स्कूल के पास बम्हैटा में अमल यादव के प्लाट पर गया था। जहां अमल यादव मकान का निर्माण करवा रहा था। अमल यादव से पैसों को लेकर हमारी कहा-सुनी हो गयी थी, बात काफी बढ़ गयी तो मैंने और अतुल ने अमल यादव को जान से मारने की नीयत से तमंचों से अमल यादव पर फायरिंग कर दी जिससे गोली लगने से अमल यादव वहीं जमीन पर गिर गया था। इसके बाद हम सभी लोग वहाँ से भाग गए थे और छुपते छुपते पुलिस के डर की वजह से कहीं दूर भागने की फिराक में थे कि पुलिस टीम ने हमें पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम/पता-

- 1-जिले सिंह यादव पुत्र जय प्रकाश यादव निवासी शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 41 वर्ष
- 2-अतुल यादव पुत्र जिले सिंह यादव निवासी शाहपुर बम्हैटा थाना वेव सिटी गाजियाबाद उम्र 21 वर्ष

बरामदगी का विवरण

अवैध 02 तमंचे 315 बोर, 02 जिन्दा कारतूस व 02 खोखा कारतूस बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली टीम

थाना वेव सिटी पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा ई-रिक्शा चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा व बैटरी बरामद ।

दिनांक 03.06.2024 को थाना शालीमार गार्डन पर वादी अरश मलिक उर्फ राजा पुत्र रहिस मलिक निवासी डी 110 गली नंबर- 1 शहीद नगर द्वारा तहरीर दी गई कि अज्ञात व्यक्ति द्वारा वादी का ई-रिक्शा ठेके वाले पार्क के पास मेन रोड के किनारे से चोरी कर लिया गया है। तत्काल वादी की प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना शालीमार गार्डन पुलिस द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन किया गया। मैनुअल इनपुट, सीसीटीवी फुटेज व मुखबिर खास की सूचना के आधार पर दिनांक 03.06.2024 को ही उक्त घटना में संलिप्त 02 अभियुक्त 1. जुनेद उर्फ करेला पुत्र बब्लू निवासी ए- 148

गली न0 06 सलीम का मकान जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद उम्र 19 वर्ष, 2.मौ0 जुबैर पुत्र निजामुद्दीन निवासी एच ब्लॉक जीरो नम्बर गली आजाद का मकान शहीद नगर थाना साहिबाबाद उम्र 20 वर्ष को नाले की पुलिया के पास 50 कदम दाहिनी तरफ सर्विस रोड शालीमार गार्डन गाजियाबाद से गिरफ्तार किया गया। जिनके कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा व बैटरी बरामद हुई। अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: अभियुक्तों उपरोक्त से पूछताछ करने पर बताया कि हम दोनों ने यह ई-रिक्शा व बैटरी रात्रि में ठेके वाले पार्क के पास मैन रोड शालीमार गार्डन के पास से चोरी किया था। हम दोनों के द्वारा चोरी किये गये माल को सस्ते दामों में बेचकर अपना खर्चा चलाते है।

गिरफ्तार अभियुक्त विवरण

1. जुनेद उर्फ करेला पुत्र बल्लू निवासी ए- 148 गली न0 06 सलीम का मकान जवाहर पार्क थाना साहिबाबाद उम्र 19 वर्ष।
2. मौ0 जुबैर पुत्र निजामुद्दीन निवासी एच ब्लॉक जीरो नम्बर गली आजाद का मकान शहीदनगर थाना साहिबाबाद उम्र 20 वर्ष।

बरामदगी विवरण-

- कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा व बैटरी बरामद।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।